

प्रेषक,
उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
प्रबन्ध निदेशक,
30प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 10 जनवरी, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, रामपुर में रामपुर की आन्तरिक ड्रेनेज पुनर्गठन योजना पार्ट-5 से सम्बन्धित प्रायोजना की निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तृतीय किशत की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रामपुर के पत्र संख्या-1008/05/एचओडी दिनांक 27.12.2016, शासनादेश संख्या-279/2015/3238/नौ-5-15-151बजट/15 दिनांक 12.08.2015, तथा शासनादेश संख्या-121/2016/1371/नौ-5-15-151बजट/15 दिनांक 04.05.2016 तथा शासनादेश संख्या-240/2016/2606/नौ-5-16-151बजट/15 दिनांक 29.08.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, रामपुर में रामपुर की आन्तरिक ड्रेनेज पुनर्गठन योजना पार्ट-5 से सम्बन्धित प्रायोजना की ₹ 1317.33 लाख (₹ तेरह करोड़ सत्रह लाख तैंतीस हजार मात्र) पर निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 के राज्य सेक्टर के नगरीय जल निकासी योजना से अन्तिम किशत के रूप में अवशेष धनराशि ₹ 65.86 लाख (₹ पैसठ लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या- 279/2015/3238/नौ-5-15- 151बजट/15 दिनांक 12.08.2015 द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कुल अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि	अन्तिम किशत के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	6	7
1	नगर पालिका परिषद, रामपुर में रामपुर की आन्तरिक ड्रेनेज पुनर्गठन योजना पार्ट-5 से सम्बन्धित प्रायोजना	1317.33	1251.47	65.86	65.86

(₹ पैसठ लाख छियासी हजार मात्र)

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 जल निगम तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/डिपॉजिट खाता/पी.एन.ए. में नहीं रखा जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा।
- (5) सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (6) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) शासनादेश संख्या-279/2015/3238/नौ-5-15-151बजट/15 दिनांक 12.08.2015 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामों डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/वस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्यधिकारी।

संख्या-21/2017/4323(1)/नौ-5-16-151बजट/15 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
- 3- जिलाधिकारी, रामपुर।
- 4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, 30प्र0 लखनऊ।
- 6- निदेशक, सीएण्डडीएस, 30प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 7- अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रामपुर, उत्तर प्रदेश।
- 8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

अज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्यधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-10/01/2017

प्रेषण संख्या:- 21
आवंटन आदेश संख्या:- 002-21-2017-4323-9-5-16-151B-15
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	6586000 263310000	6586000 263310000
	योग	वर्तमान प्रगामी	6586000 263310000	6586000 263310000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पैंसठ लाख छियासी हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छब्बीस करोड़ तैंतीस लाख दस हजार


(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी